

15-5-24

पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर न्यायालय में राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधित 2010 वास्ते अपने खातेदारी खेत तक आने जाने हेतु गैर मुमकिन रास्ता घोषित करवाने विचाराधीन है। प्रार्थीगण अधिवक्ता का निवेदन है कि मुझे इस प्रकरण में पैरवी करने की प्रार्थीगण की ओर से हिदायत नही होने से प्रकरण को जरिये नोट प्रेस करता हूँ। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा नोट प्रेस कर राजस्व आवेदन को इसी स्तर पर खारीज करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने इस बाबत् आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर किये।

प्रार्थीगण अधिवक्ता के निवेदन पर राजस्व आवेदन को इसी स्तर पर नोट प्रेस करने पर खारीज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

सपखण्ड अधिकारी
छोरीभग्ना, बाड़मेर

पत्रावली
हिदायत
15/5/24

